Registered, Indexed &
Refereed / Peer Reviewed Online
International Journal

ISSN 2454-1974

Volume 4
Issue 6
December 2022

THE RUBRICS

Journal of Interdisciplinary Studies

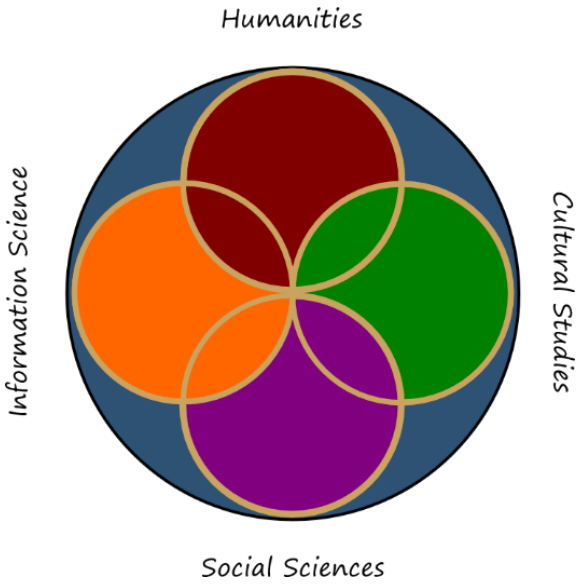

Chief Editor
Dr. Rajesh Gore

Published by
Magnus Publishing & Distributors
Parbhani 431 401. MS India.
www.therubrics.in

THE RUBRICS
Journal of Interdisciplinary Studies
Volume 4 Issue 6 December 2022
www.therubrics.in
ISSN 2454-1974

समकालीन स्त्री विमर्श और कहानी

प्रा. डॉ. संगीता पांडूरंग लोमटे

सहाय्यक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
कै. सौ. कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय, परभणी. महाराष्ट्र

शोधपत्र

समाज में कमजोर और उपेक्षित समझी जानेवाली स्त्री और उसके जीवन की समस्याओं को लेकर अनेक आंदोलन और संघर्ष हुए. जिनका उद्देश्य लिंग भेद रहित समाज का निर्माण करना है. यह एक ऐसी परिस्थिती है जो धीरे धीरे बदल रही है लेकिन इस बदलती परिस्थिती के साथ कुछ नए प्रश्न और समस्याएँ भी निर्माण हो रही है. जिसका परिणाम नारी जीवन पर, उसके मानसिक, शारीरिक स्वाथ्य पर हो रहा है. इन परिस्थितीयों का प्रभाव साहित्य पर गहरे रूप में होता है. जिसे एक संवेदनशील साहित्यकार प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हुए समकालीन परिस्थितियों के साथ भविष्य पर भी नजर रखते हुए उसे समाज के सामने प्रस्तुत करता है. स्त्रीवाद का प्रचार सन १९६० के पश्चात बडी तेजी से हुआ. सन १९७६ के अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के उपरान्त स्त्रीवादी विचारधारा को नई दिशाएँ मिली. स्त्रीयॉं अपने हक्क, अधिकार को समझने लगी और उसे पाने के लिए संघर्ष करने लगी. क्योंकि स्त्रीयों के दृष्टिकोन में परिवर्तन आया. दुनिया में होनेवाले परिवर्तन और अन्य समाज के स्त्री जीवन को बदलते हुए देख भारतीय समाज की स्त्री आगे बढकर अपनी प्रगती करने लगी उसकी इस परिवर्तीत जीवन का चित्र हमें साहित्य में देखने को मिलता है. इस विचारधारा को उग्रवादी बताकर पुरूष विरोधी घोषित किया जा रहा है. जिसका विरोध करते हुए डॉ. माली जाधव कहती है, "स्त्री मुक्ति आंदोलन पुरूष के विरोध में आंदोलन न होकर वह जुल्मजबर्दस्ती की प्रवृत्ति के विरोध की लडाई है. सहयोग और सहजीवन की मॉंग करनेवाला मात्र पुरूष के रूप में पैदा होने के कारण उसे जो अधिकार मिल गये है और मात्र स्त्री का शरीर मिलने के कारण वह अधिकार न देनेवाले समाज के विरोध में यह विद्रोह है."[१] साहित्य में भी बदलते स्त्री जीवन की नई व्यवस्था पर तथा आनेवाले भविष्य पर प्रकाश डाला है.

साहित्य की विभिन्न विधाओं उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता आदि में स्त्री के समकालीन बदलते जीवन को देखा जा सकता है. इन सबकी तुलना में कहानी एक ऐसी विधा है . जो संक्षिप्त रूप में मानवीय जीवन के महत्वपूर्ण अंशों पर प्रकाश डालते हुए भावनाओं, संवेदनाओं और परिस्थितियों का सुक्ष्मता से चित्रण करती है स्त्री जीवन को समकालीन परिस्थितियों के साथ आनेवाले भविष्य को अधोरेखित करती है. जिससे हम स्त्री जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत होने के साथ ही उसकी मानसिक अवस्था को समझ सकते है. पुरातन समय से लेकर आज के समकालीन समय तक के स्त्री जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए है. उस समकालीन जीवन का चित्रण कहानियों में अधिक गहरे और प्रभावी ढंग से हुआ है अतः हमें समकालीनता पर प्रकाश डालना होगा. साहित्य की समकालीनता यह विशेषता है. वह अपने समय के साथ चलता है- "साहित्य और पुराण तथा धर्मशास्त्र में यही सबसे बडा अंतर है कि साहित्य हमेशा समकालीनता तथा अग्रगामिता को साथ लेकर चलता है. जबकि पुराण या धर्मशास्त्र अतीत या पश्चगामिता को गले लगाकर चलते हैं.[२] समकालीनता एक व्यापक संकल्पना है वह किसी विशेष विचारधारा से संबंधित नहीं है. क्योंकि समकालीनता निरंतर चलनेवाली है उसमें स्थायीत्व होते हुए भी वह एक गतिशील मूल्य है. समकालीनता यह हर समय जो मुल्यवान धारणाएँ है उनको चुनते हुए उसे अपने देश-काल की आवश्यकता को देखते हुए योग्य रूपमें उसे आत्मसात करती रहती है. इसीकारण समकालीनता और कहानी का गहरा संबंध है. "घटनाशीलता एक इतिहास जन्य तत्व है और समकालीनता के मूल में भी इतिहास बोध सन्निविष्ट है अतः कहानी और समकालीनता का परस्पर बहुत ही गहरा और परिपूरक संबंध है, बिना समकालीन घटनाशीलता के कहानी का अस्तित्व या तो है ही नहीं और यदी है तो वह कहानी की मूलभूत विधागत तत्व प्रकृति से पूर्व नियोजित विचलन है."[३] अतः स्त्री विमर्श की समकालीनता कहानी के माध्यम से अधिक स्पष्ट हो सकती है. स्त्री विमर्श की विचारधारा में समययानुसार नए विचार, नए अधिकार और नई समस्याएँ भी निर्माण हुई हैं. आज की नारी को आर्थीक दृष्टी से स्वावलंबी होने का अधिकार तो प्राप्त हुआ है. वह पढलिख चुकी है वह हर क्षेत्र में आगे जा रही है लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुलभूत अधिकार भी उसे मिलने अभी बाकि है जिसके लिए उसे अभी भी संघर्ष करना होगा. समकालीन जीवन में कुछ ऐसे विचार सामने आये जो स्त्रीयों की जरुरतें है और अपनी निजी समस्याओं से जुडे है. जिनपर अब तक नहीं सोचा गया था उनपर हम नजर डालने की कोशिश करेंगे.

१) अपने शरीर पर अधिकार :

इस अधिकार पर पुराने जमाने में कभी सोचा नहीं गया आज जब स्त्री घर से बाहर निकलकर कमाने लगी है तो उसके संबंध समाज के भिन्न प्रकार के लोगों से जुड रहे है ऐसे में उसे यौन अत्याचारों का शिकार होना पड रहा है. जिसमें उसके नकार को भी हॉ मानकर जबरदस्ती की जाती है. पहले यही घर की चार दिवारों में होता था इसलिए ऐसी घटनाएँ सामने नहीं आ पाती थी आज जब घर से बाहर उसे इन चिजों का सामना करना पड रहा है तब नारी ने अपने शरीर पर अधिकार मॉगना शुरु किया

है. क्योंकि दुसरी तरफ उसे ऐसी अवस्था में गर्भधारणा होनेपर उसे गिरवाने का अधिकार भी नहीं दिया जाता उसे गैरकानूनी माना जाता है. इसे लेकर अलग अलग देशों में अलग कानून बनाए गये है. एक तरफ उसकी मर्जी के खिलाफ उसपर अत्याचार होता है और दूसरी तरफ उसे अपने शरीर में बच्चे को पालना पोसना है या नहीं यह भी तय करने का अधिकार नहीं दिया जाता इसके खिलाफ उसे संघर्ष कर कानून से इस हक की मॉग करनी पड रही है. यह एक मूलभूत अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए. इसप्रकार के अत्याचारों का चित्रण कई कहानियों में हुआ है. मोहन राकेश की मरुस्थल में इंदु का ऐसा दुर्भाग्य है कि उसके माता पिता हि उसके जिस्म से कमाई करना चाहते हे. लेकिन इंदू पढलिखकर डॉक्टर बनना चाहती है. हिमांशु जोशी की 'काला दरिया' में नायिका उदुली का मानसिक, शारीरिक शोषण उसके नजदीक के हरकु काका करते है. जो उससे पैसे कमाते है और वह मॉ बनने पर उसे कलंकित कर घर से निकालते है. वहीं मेरा कहानी में मृदुला गर्भ ने मीता को अपने मातृत्व का हक्क अपने पति से संघर्ष करते पाते हुए दर्शाया है. जो समकालीन जीवन में स्त्री का अपना अधिकार है. जिसे समाज और न्याय व्यवस्था उसे आज भी नहीं दे रही है. दुसरी तरफ अपने पति द्वारा होनेवाले अत्याचार के खिलाफ आज भी किसी शादीशुदा स्त्री को कानून मदत नहीं करता वह अगर विवाहित है तो कानून उसे न्याय नहीं देता वहीं कई देशों में इसे स्वीकृति मिली है. लेकिन भारतीय न्यायव्यवस्था इसका विरोध करती है. और स्त्री के शरीरपर उसके पति का कानूनी अधिकार मानती है.

२) विवाह से जुडे अधिकार :

आधुनिक युग में भले ही कुछ सीमा तक लडकियों को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार मिला है. लेकिन फिर भी पत्नी के रुप में उसका स्थान दुय्यम ही है. आर्थीक दृष्टी से स्वावलंबी होने पर भी उसके पैसे पर पूरी तरह घर के पुरूष का हक होता है. उसे घर की हर जिम्मेदारी उठानी पडती है. घर और बाहर दोनों तरफ उसे अपनी जिम्मेदारीयॉ निभानी पडती है. उसे पत्नी के कारण ससुराल संबंधी जिम्मेदारीयॉ निभानी पडती है. तो दूसरी तरफ बेटी होने का कर्तव्य भी क्योंकि कानूनी तोर से मॉ बाप को संभालने की जिम्मेदारी भी उसे दि गई है. शादी के बाद उसकी जिम्मेदारीयॉ जरूर बढती है. लेकिन अधिकार उसे नहीं मिलते. इन्ही स्थितियों के कारण पढी लिखी लडकियॉ शादी करने से कतराती है और स्वतंत्र रूप में जीने का सोच रही है. ममता कालियाजी ने 'पराई लडकी' कहानी में इसी स्थिती को दर्शाया है. जिसमें बखली सोना की शादी के उपरान्त की स्थिती देख शादी न करने की सोचती है. विवाह जुडते समय भी लडकी को ही झुकना पडता है. शादी न हो पानेपर दोषी उसे ही माना जाता है. मोहन राकेश की उर्मिल जीवन कहानी में नीरा को बहन की मृत्यु के पश्चात अधेड जीजाजी से विवश होकर विवाह करना पडता है. जो यही स्पष्ट करता है जैसे नारी की अपनी कोई इच्छा ही नहीं है. तो परमिता कहानी में हिमांशु जोशी जी नायिका मिता के माध्यम से एक पढी लिखी लडकी होने के बावजूद उसका रिश्ता नहीं जुड पाता है तो वह मानसिक दृष्टि से कैसे टूट जाती है इसे दर्शाया है उसे हर बार मेहमानों के सामने सजधजकर जाना पडता है. तंग आकर वह एक दिन मेहमानों से उल्टा प्रश्न पुछती है. अपनी

सभी जानकारी देती है और स्वयं ही कह देती है कि आप मुझे कतई पसंद नहीं. विवाह के संबंध में बनी समाज व्यवस्था से लगातार उसे अपमानित होना पडता है. वह विवश होकर अपने मन से शादी का विचार निकाल देती है.

३) संपत्तिक अधिकार :

स्त्री को शादी से पहले परायी कहा जाता है और उसे अपने पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता. और जब शादी हो जाती है तो उसे अपने माता - पिता के घर मेहमान बनाया जाता है. जिसपर उसका कोई अधिकार नहीं होता दूसरी तरफ ससुराल में भी ससूर की सारी संपत्ति उसके पति के नाम होती है. जिसपर उसका केवल पति के माध्यम से हक होता है. सीधा अधिकार उसे नहीं मिलता अर्थात दोनों तरफ वह परायी ही मानी जाती है. मायके की संपत्ति भाई के नाम होती है तो ससुराल की पति के नाम उसका अपना कुछ भी नहीं होता भले ही कानून ने यह अधिकार उसे प्रदान किया है. लेकिन समाज में आज भी अगर बेटा नहीं है तो बेटी को संपत्ति देना मानो पराये के हवाले करना या वह बेकाम की मानी जाने लगती है. चाहे बेटा माता - पिता का पालन - पोषण करें ना करें, अपने कर्तव्य निभाये या ना निभाये उसे संपत्तिपर पूरा अधिकार दिया जाता है. वहीं दूसरी तरफ बेटी को चाहे वह सास-ससूर और अपने माता-पिता का पालन पोषन करें या न करें उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता. बहुत सी लडकीयॉं अपने मायके के रिश्ते न टुट जाय इसलिए कानूनी अधिकार होते हुए भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मॉंगती. बल्की बगैर संपत्ति के भी अपने कर्तव्यों को निभाती है ऐसे में हर माता - पिता ने अपनी बेटी को उसका अधिकार देना चालिए. 'भेडिये' कहानी में हिमांशु जोशी ने नंदिता के माध्यम से एक ऐसी नारी का चित्रण किया है जो अपाहज होकर भी अपने बूढे माता - पिता की सेवा करने के लिए नौकरी करती है. उषा प्रियंवदा के 'कच्चे धागे' कहानी की नायिका कुन्तल मॉं की मृत्यु के बाद भाई बहनों की परवरिश कर रही है. पिता की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है. घर के छोटे - मोटे घरेलू काम करके पिता की मदद भी करती है. मन्नू भंडारी की 'क्षय' कहानी में कुंती लडके की तरह घर का बोज उठाती है. 'अकेला गुलमोहर' में मेहरून्निसा परवेज ने सुधा के माध्यम से इस स्थिती को दर्शाया है. उसका शादीसुदा भाई सुधा की शादी उसकी तनख्वा के लिए नहीं होने देता ताकी पैसा मिलता रहे. उसी तरह 'विद्रोह' कहानी में नीना घर का भरन पोषण कर रही है.शादी करना चाहती है लेकिन चाहकर भी वह अपने माता - पिता के खिलाफ नहीं जा पाती वह सोचती है-"जैसे वह ही उन सबकी पिता हो और सब उसके बच्चे हों मॉं बाबू जी भी और इन सबका पेट भरना उसका फर्ज हो गया हो."[४]

४) धार्मिक अधिकार :

पुरूष सत्ताक व्यवस्था ने धर्म में स्त्री को निचला स्थान दिया है. इसीकारण धर्म के नामपर स्त्रीयों पर अन्याय होता आ रहा है. जिसके लिए आज स्त्री संघर्ष कर रही है. उसका कुछ मंदिरों में

प्रवेश रोका गया. तो कभी धार्मीक उत्सवों में शामील होने से रोका गया. धर्म ने नारी को कमजोर, पतित पापी, के रूप में दर्शाया है. तरह तरह के व्रत, वैकल्य केवल स्त्रीयों के लिए है. उसे अपने से उपर अपने पति को मान सम्मान देता पडता है. उसका अपना कोई स्वाभिमान नहीं रह पता मोहन राकेश की 'उसकी रोटी' कहानी की बाली पति के हर अन्याय को सहते हुए उसके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाती है. 'ढाई आखर प्रेम' कहानी की जयन्ती शास्त्री ने राजपूत जाति के दलजीत चौहान से प्रेम किया था. परंतू विवाह हो न सका कारण जयंती छप्पन नंबरी ब्राम्हण थी. मालती जोशी की यह कहानी है जो दर्शाती है कि, धर्म के, समाज के जो बंधन है जिससे कई लोगों के जीवन में उनकी इच्छाएँ पुरी नहीं हो पाती उन्हें धर्म बंधनों के सामने विवश होना पडता है.

५) वैयक्तिक दृष्टिकोन :

स्त्री के वैयक्तिक दृष्टिकोन में भी बदलाव आना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि स्त्री जीवन में जीतने चाहे बदलाव आये उन्हें स्वीकारने की मानसिकता जब तक स्त्री में नहीं होगी तब तक उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आयेगा. उसे खुद अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना होगा. खुद की मानसिकता, सोच, दृष्टिकोन में परिवर्तन लाना होगा. तभी वह खुद के साथ तथा अन्य स्त्रीयों के साथ होनेवाले अन्याय का विरोध कर सकेगी. क्योंकि बहुत बार यह देखा गया है कि, स्त्रीयों पर होनेवाले अत्याचार और अन्याय करनेवाली दूसरी स्त्री ही होती है. इसका मूल कारण स्त्री का खुद की ओर देखने का दृष्टिोन है क्योंकि वह खुद को पुरूष से हिन कमजोर मानती है. स्त्री में स्त्री स्वाभिमान की जागृती होना जरूरी है तभी सारा नारी समाज एक होकर अपने हक्कों के लिए संघर्ष कर सकेगा लेकिन आज समाज में अक्सर ऐसा नहीं होता जब किसी स्त्री के साथ अन्याय होता है तो उसका साथ देने की बजाए वहाँ दूसरी स्त्रीयाँ उसे ही दोषी ठहराने लगती है. और पुरूषों का ऐसा बर्ताव स्वाभाविक मानती है. नीहारिका जी की 'नारी तुम केवल सबला हो' की रचना का पति रचना से रिश्ता तोड देता है. जिसमें रचना का कोई दोष नहीं है. सबका संसार बनानेवाली सबको संकटों में साथ देनेवाली रचना को ऐसे में सहारा देने की जगह उसके पडोस की स्त्रीयाँ रचना के बारे में बूरी बाते फैलाती है. नीता आंटी बोली तो सुमन आंटी क्यों पीछे रहती अरे छोडिये बहनजी कहीं रचना जी ही गुल खिला रही होंगी वर्ना पति क्यों छोड देता देखिए ना अब भी कैसे ठसक बनी है. कही कोई दुख है इन्हें. कुछ अपना इंतजाम कर रखा होगा तभी तो. मैत्रेयी पुष्पा की 'ललमनियाँ' में मोहर से शादीकर जब जोगेस उसे अपने घर ले जाता है तो उसके माता - पिता उसे नचौनी कहकर घर में लेने से इन्कार करते है. रजत रानी मीनू की 'धोखा' कहानी में अमीता को जब उसके साथ सहजीवन बिता रहे उसके पति से धोखा मिलता है तो अमिषा को उसके मॉ - बाप भी सहारा नहीं देते तब अमिषा कहती है. "इस वैकल्पिक शादी में लडकी ही सबसे ज्यादा हारी, दहेज के नाम पर मिलनेवाले उसके हक से भी उसको महरूम कर दिया बल्कि वे हमेशा सचेत रहते कि चेतनशील बेटी कोर्ट में चल अचल सम्पत्ति पर दावा न कर दे. बचपन में उसके प्रति संवेदनशील रहे माता - पिता ही उसके बडे होते ही उनकी संवदेनाएँ पता नहीं कहॉ चली

जाती है ? यदि बचती है तो थोथी और सारहीन पक्षपाती सहानुभूति."[५] इसीलिए जरूरी है कि हर एक मॉ अपनी बेटी के हकों के लिए जागरूक रहें ओर उसे बेटे की तहर घर में आदर सम्मान के साथ ही उसका हक मिल सके. अगर मॉ ही बेटी के हक स्वीकार नहीं करेगी तो समाज क्यों स्त्रीयों के हक्कों के बारे में सोचेगा. समाज तब ही जागरूग होगा जब हर एक मॉ अपनी बेटी के साथ खडी होगी. इसीलिए स्त्री का स्वयं को देखने का दृष्टिकोन बदलना जरूरी है. और यह दृष्टिकोन हर एक मॉ अपनी बेटी में निर्माण कर सकती है. जिसके लिए हिन भावना को खत्मकर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना होगा.

६) सामाजिक दृष्टिकोन :

जब हरएक स्त्री उपने हक के लिए जागृत होगी. तब समाज को भी स्त्री के प्रति अपने दृष्टिकोन को बदलना पडेगा. आज की परिस्थिती में स्त्री को समाज का देखने का दृष्टिकोन हिन और अशोभनीय है. इसमें विशेषकर मीडिया का योगदान अधिक है. जो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नारी को एक शोभनिय और दिखाउ वस्तू के रूप में दर्शाते है. जिससे समाज का दृष्टिकोन भी उसी तरह से बनता जा रहा है. डॉ. नीहारिका जी की कहानी 'नारी तुम केवल सबका हो' में जब रचना का पति उसे छोडकर चला जाता है तो पडोस के शर्माजी सहानुभूति दिखाने के बहाने उसे पाने की इच्छा जाहिर करते है. मोहन राकेश की कहानी 'आखिरी सामान' में मि. भंडारी अपनी पत्नी बेला का लेदर करन्सी के रूप में उपयोग करना चाहता है अपनी तरक्की के लिए. वहीं मि. भंडारी को जेल होनेपर उसके नजदिकी दोस्त सुधीर की बेला की ओर देखने की दृष्टी भी बदल जाती है. मन्नू भंडारी की कहानी 'स्त्री सुबेधिनी' में नायिका को उसके ऑफीस का बॉस बहला फुसलाकर उसका आठ साल तक मनचाहा उपयोग कर उसे जरूरत खत्म होनेपर छोड देता है. यह स्थितियॉ दर्शाती है कि, समाज में स्त्री को देखना का दृष्टिकोन एक मनोरंजन की वस्तू के रूप में है.

इसलिए जरूरी है की, समाज का दृष्टिकोन बदले वह स्त्री को एक मानव और मानवीय संवेदनाओं के रूप में देखे और समझे. इसकी शुरूवात घर, परिवार से ही हो सकती है. हर परिवार में लडकी या उस घर की स्त्री के प्रति देखने का नजरिया बदले, उसे आदर, सम्मान मिल सके ताकी बच्चे बडे होनेपर वह भी इसी दृष्टिकोन से सोचे तभी स्त्री की हर जरूरतों के बारे में समाज सोचने और समझने लगेगा. आज स्त्री घर से बाहर निकलने के कारण उसकी घर से बाहर समाज में भी बहुत सारी जरूरत और आवश्यकताएँ है जो पूरी होना जरूरी है. जैसे हाल ही में 'राईट टू पी' का अभियान चलाया गया ताकी उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें. ताकी उसे घर से बाहर समाज में काम करते हुए साफ सुथरा शौचालय उपलब्ध हो. ऐसी मूलभूत जरूरतें समाज के द्वारा नारी को जब तक नहीं मिलेंगी तब तक उसका समाज के विकास में योगदान देना कठीन होगा. यह सब तभी संभव है जब समाज की सोच बदलेगी.

अतः इन समकालीन विचारधाराओं को कहानियों में वक्त होते हुए हम देख सकते है जो स्त्री विमर्श और उसकी विचारधारा के विकसीत करने के साथ - साथ समाज के सामने स्त्री जीवन और उसकी सच्चाई को प्रस्तुत करता है. वहीं यह कहानियॉं स्त्रीयों की सोच और उसकी कमीयों को भी दर्शाती है. जो स्त्री की सोच में भी बदलाव ला सकती है.

संदर्भः

१) स्त्री मुक्ति सत्य व भ्रम - डॉ. भारती जाधव पृ. क्र. ०६
२) कहानी समकालीन चुनौतियॉं - शंभु गुप्त पृ. क्र. ५२
३) कहानी समकालीन चुनौतियॉं - शंभु गुप्त पृ. क्र. ५५
४) कार्टर - मोहन राकेश
५) गंधर्व- गाथा - हिमांशु जोशी
६) डेफिडोल जल रहे है - मृदुला गर्ग
७) सीट नं. छ. - ममता कालिया
८) इकसठ कहानियॉं - हिमांशु जोशी
९) कच्चे धागे - उषा प्रियंवदा
१०) यही सच है और अन्य कहानियॉं - मन्नू भंडारी
११) आदम और हत्या - मेहरून्निसा परवेज
१२) आदम और हत्या - मेहरून्निसा पृ. क्र. १२४
१३) पहचान - मोहन राकेश
१४) मालती जोशी की कहानियॉं - मालती जोशी
१५) कथा साहित्य - संपादक डॉ. अजय टेंगसे पृ. क. १२०
१६) कथा साहित्य - संपादक डॉ. अजय टेंगसे पृ.क्र.१२९
१७) साहित्य भारती - संपादक डॉ. अजय टेंगसे
१८) मोहन राकेश की कहानियॉं मे नारी चरित्र - डॉ. रावसाहेब जाधव
१९) साठोत्तरी हिंदी महिला कथा लेखन में आधुनिकता बोध - डॉ. सौ. महेर दत्ता पाथरीकर
२०) हिमांशु जोशी का कथा साहित्य - डॉ. अनिल सालुंखे